प्रेस नोटः–

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक–27.04.2019

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग–

जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न–भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडीयों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर **66 वाहनों से मु0– 10800 रू0 शमन शुल्क वसूल किया गया। शमन शुल्क को नियमानुसार राजकीय कोष में जमा कराया गया।**

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से **कुल–13 व्यक्तियों को अर्न्तगत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।**

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 26.04.2019 को जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्र की पुलिस द्वारा तत्परता पूर्वक कार्यवाही करते हुए कुल–03 अभियुक्त को गिरफ्तार कर उनके पास से कुल 70 लीटर कच्ची शराब बरामद की गयी। कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है–

थाना परसपुर द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. विनोद कुमार पुत्र सुकई नि0 बास गॉव टिकैत नगर जनपद बाराबंकी के कब्जे से 40 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–120/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

थाना मोतीगंज द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. रामगरी पासवान पुत्र मेही लाल पासवान नि0 रेडौरा थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–101/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

थाना धानेपुर द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. रक्षाराम खटिक पुत्र राम लाल खटिक नि0 इन्दिरा पारा डिहवा थाना धानेपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–163/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

चोरी की बाइक के साथ 03 अभियुक्त गिरफ्तार–

गोण्डा। शनिवार जनपद के थाना को0 देहात पुलिस द्वारा चोरी की मोटरसाईकिल के साथ 03 अभियुक्तगण– 1.अब्दुला पुत्र अनीश मोहम्मद नि0 मेवतियान थाना को0 नगर, 02. अलतमस उर्फ सोनू पुत्र मुन्ना कसाइ, 03.राजा पुत्र तलहा कुरैशी नि0 इमामबाड़ा थाना को0 नगर जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर लिया गया।

दिनांक 26.04.2019 को उ0नि0 विनय कुमार यादव मय हमराह फोर्स के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मोबिन भठ्ठा के पास उक्त अभियुक्तगणों को संदिग्ध दिखने पर उनको रोक टोक कर चेक किया गया तो उनके कब्जे से चोरी की बाइक बरामद हुई। अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना को0 देहात में उक्त अभियुक्तगणों के विरूद्ध मु0अ0सं0–136/19, धारा 379.411 भादवि के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

दलित लड़की का अपहरण करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार–

गोण्डा। शनिवार जनपद गोण्डा के थाना तरबगंज पुलिस द्वारा लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के आरोपी अभियुक्त– राजाबाबू कुरैशी पुत्र महबूब अली निवासी रेता दलसिंह बालू थाना तरबगंज जनपद गोण्डा को थाना तरबगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0–99/19, धारा 363.366 भादवि व 3(2)(5) एस0सी0एस0टी0 एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

दिनांक 14.04.2019 को उक्त अभियुक्त पर थाना तरबगंज क्षेत्र की रहने वाली एक दलित लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप है। जिसके सम्बन्ध मे पीड़िता की माता द्वारा थाना तरबगंज पर उक्त मुकदमा दिनांक 15.04.2019 को दर्ज कराया गया था। जिसमें तरबगंज पुलिस द्वारा उक्त आरोपी अभियक्त को आज दिनांक 27.04.2019 को मुखबिर की सूचना पर उसके घर से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

विवेचनाओं का निस्तारण–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण–दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल– 24 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया।